अध्याय—14

शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान

[CONSTITUTIONAL PROVISIONS FOR EDUCATION]

भारतीय संविधान की प्रस्तावना
(PREAMBLE OF INDIAN CONSTITUTION)

26 नवम्बर 1949 ई. को भारत के जनतन्त्रात्मक संविधान की प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया था—

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान-सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिती मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म-समर्पित करते हैं।"

इस प्रस्तावना द्वारा भारतीय जनतन्त्र का स्वरूप स्पष्ट होता है। इसमें भारत के लोग (भारतीय जनता), लोकतन्त्रात्मक (भारतीय जनता का), जन-हितकारी गणराज्य की स्थापना करते हैं। इस लोकतन्त्र के प्रमुख आधार न्याय (आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय), स्वतन्त्रता (विचार-स्वातन्त्र्य, अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य, विश्वास की स्वतन्त्रता तथा धर्म की उपासना की स्वतन्त्रता), समानता (प्रतिष्ठा और अवसर की समानता) एवं बन्धुत्व (व्यक्तित्व का आदर, राष्ट्रीय एकता) हैं जिन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिए भारत के लोग कटिबद्ध हैं।

संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 'समाजवादी धर्मनिरपेक्ष' और 'राष्ट्र की एकता और अखण्डता' शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिये गये हैं। इन शब्दों से प्रस्तावना में जोड़े जाने का कारण भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियाँ थीं। देश में साम्प्रदायिकता, जातीयता सिर उठा रही थी। देश की अखण्डता के समक्ष चुनौती थी अतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रधानमन्त्रित्व में देश में इन शब्दों को प्रस्तावना में रखना उचित समझा। यद्यपि इन शब्दों का आशय प्रकारान्तर से प्रस्तावना में पहले से ही विद्यमान थे।

भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई थी। सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया था तथा 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू हुआ। 14 अगस्त, 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानन्द सिन्हा थे। उनके देहावसान के बाद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। संविधान का मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था। भारतीय संविधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। भारत के न्यायालयों को भारतीय संसद द्वारा पास किये गये कानूनों की संवैधानिकता पर निर्णय करने का अधिकार है। संविधान में प्रस्तावना के अलावा 1 से 10 अनुसूचियाँ, 1 से 395 धाराएँ और एक परिशिष्ट है। परिशिष्ट में वह आदेश है जिसमें जम्मू व कश्मीर पर संविधान लागू किया गया है।

संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची
(UNION LIST, STATE LIST AND CONCURRENT LIST)

संविधान में भारत को एक सर्वप्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रीय गणराज्य घोषित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी धर्मनिरपेक्ष' और 'राष्ट्र की एकता और अखण्डता' शब्द जोड़े गये।

भारत राज्यों का संघ है। प्रथम अनुसूची में राज्यों व केन्द्र-शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। संघ सरकार को संघ सूची में उल्लिखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्यों को राज्यसूची

में उल्लिखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तीसरी सूची 'समवर्ती सूची' है। इसमें उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार व राज्य सरकार दोनों को है। संघ सरकार द्वारा बनाये गये व राज्यों द्वारा बनाये गये कानूनों में विरोध होने की दशा में संघ सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों को मान्यता देने की बात धारा 254 में कही गयी है।

संविधान के भाग 2 में धारा 12 से 35 के अन्तर्गत नागरिकों को सात मूल अधिकार दिये गये हैं—

1. समानता का अधिकार
2. स्वाधीनता का अधिकार
3. शोषण से रक्षा का अधिकार
4. धर्म की स्वाधीनता का अधिकार
5. सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार।

प्रत्येक नागरिक को अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में कार्यवाही करने का अधिकार है।

सातवीं अनुसूची में 97 विषय हैं—

संघ-सूची की 62वीं प्रविष्टि में संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था के रूप में संसद द्वारा कानूनन मा। अथवा राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक व भारतीय युद्ध स्मारक, इम्पीरियल युद्ध संग्रहालय या भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तीय रूप से सहाय्यित संस्थानों को इसमें रखा गया है।

संघ सूची की 63वीं प्रविष्टि में राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाओं का उल्लेख किया गया है; जैसे—बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय व दिल्ली विश्वविद्यालय, आदि।

संघ सूची की 64वीं प्रविष्टि में भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान, जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया है, का उल्लेख है।

संघ सूची की 65वीं प्रविष्टि में प्रोफेशनल, वोकेशनल व तकनीकी प्रशिक्षण, विशिष्ट अध्ययन या अनुसंधान को प्रोत्साहन देने अथवा अपराध पहचानने में अनुसंधान के लिए संघीय अभिकरणों व संस्थाओं का उल्लेख है।

संघ सूची की 66वीं प्रविष्टि में उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थानों में मानकों के निर्धारण और समन्वय का उल्लेख है।

संघ सूची की 13वीं प्रविष्टि में विदेशों से शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, परिषदों व अन्य निकायों में सहभागिता व वहाँ लिये गये निर्णयों के अनुपालन का उल्लेख है।

राज्य सूची में 66 विषय हैं व दो प्रविष्टियाँ शिक्षा से सम्बन्धित हैं—

राज्य सूची की 11वीं प्रविष्टि में प्रथम सूची की 63, 64, 65 व 66वीं प्रविष्टियों व तीसरी सूची की 25वीं प्रविष्टि के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय शिक्षा सहित शिक्षा को रखा गया है।

राज्य सूची की 12वीं प्रविष्टि में राज्य द्वारा नियन्त्रित या वित्तीय सहायता प्राप्त पुस्तकालयों, संग्रहालयों व अन्य समान संस्थाओं को रखा गया है। इसमें संसद द्वारा कानून बनाकर अथवा कानून के तहत राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था के रूप में घोषित चीजों के अलावा प्राचीन या ऐतिहासिक इमारतों व अभिलेखों का भी वर्णन है।

तीसरी समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। इनमें से 20वीं प्रविष्टि आर्थिक व सामाजिक नियोजन तथा 25वीं प्रविष्टि में व्यावसायिक व तकनीकी श्रमिक प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की। इस संविधान संशोधन को संसद के दोनों सदनों व कई राज्य विधान सभाओं की स्वीकृति मिल गयी थी। तब से शिक्षा समवर्ती सूची में ही है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में धारा 344 (1) व 351 (1) में 15 भाषाओं को मान्यता दी गयी है। ये भाषाएँ निम्न हैं—(1) असमिया, (2) बंगाली, (3) गुजराती, (4) हिन्दी, (5) कन्नड़, (6) काश्मीरी, (7) मलयालम, (8) मराठी, (9) उड़िया, (10) पंजाबी, (11) संस्कृत, (12) सिंधी, (13) तमिल, (14) तेलुगु, (15) उर्दू। 1992 में किये गये संविधान संशोधन द्वारा कोंकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान के आठवें अनुच्छेद में शामिल कर लिया गया।

भारत के संविधान में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान
(EDUCATION RELATED PROVISIONS IN INDIAN CONSTITUTION)

हमारे संविधान में शिक्षा सम्बन्धी निम्न प्रावधान निहित हैं—

1. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा—संविधान की 45वीं धारा के अनुसार राज्य 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए संविधान लागू होने से दस वर्ष के अन्दर स्वतन्त्र व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा।

2. धार्मिक शिक्षा—संविधान की इक्कीसवीं धारा के अनुसार किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। धारा 28 (1) में कहा गया है कि पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धारा 22 (2) में कहा गया है कि सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जा रहे किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। धारा 28 के अनुसार अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी सहमति के बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए।

3. दृश्य सामग्री—धारा 49 में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करे।

4. अल्पसंख्यकों की शिक्षा—धारा 30 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय को मनपसन्द शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने व उनका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है व अनुदान देते समय इन विद्यालयों के साथ इस कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वे धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित हैं।

5. पिछड़े वर्ग की शिक्षा—पिछड़े वर्गों की शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक धाराएँ व उनमें कही गई बातें निम्न हैं—

(i) धारा 17—अस्पृश्यता निवारण व किसी भी रूप में अस्पृश्यता का प्रयोग वर्जित है।

(ii) धारा 24—14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री, खान या अन्य खतरनाक रोजगार में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(iii) धारा 23—मनुष्यों के क्रय-विक्रय व बेगार पर रोक लगी रहेगी।

(iv) धारा 15—हिन्दुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के द्वार पिछड़े वर्गों के लिए खुले रहेंगे।

(v) धारा 16 व 335—राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की छूट रहेगी।

(vi) धारा 46—पिछड़े वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों के उन्नयन तथा उन्हें सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा मिलेगी।

6. कृषि शिक्षा—अनुच्छेद 48 के अनुसार यदि राज्य चाहे तथा यदि यह उत्तरदायित्व को स्वीकार करने में सक्षम हो तो वह आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि व पशुपालन का संगठन करने, नस्लों का संरक्षण व सुधार करने हेतु कदम उठा सकता है।

7. भाषा अनुदेशन—संविधान की 350-ए धारा में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य तथा राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए मातृभाषा में अनुदेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करेगा। धारा 351 में कहा गया है कि यह संघ का कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा के प्रसार व विकास को प्रोत्साहित करे ताकि वह भारत की समग्र संस्कृति के समस्त तत्त्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

8. केन्द्र व राज्य के शैक्षिक दायित्व—भारतीय संविधान में केन्द्र व राज्य सरकार के शैक्षिक दायित्व स्पष्टत: परिभाषित किये गये हैं। केन्द्र सरकार शिक्षा सुविधाओं के समन्वय, उच्च वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के स्तरों के निर्धारण तथा हिन्दी व अन्य सभी भारतीय भाषाओं में शोधकार्य व उनकी अभिवृद्धि के लिए उत्तरदायी है। संघीय क्षेत्रों की शिक्षा व केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर केन्द्र का सीधा नियन्त्रण है। देश के अन्य क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशासन का दायित्व राज्य पर है।